

CHHATISGARH INSTITUTE OF TECHNOLOGY JASHPUR

छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जशपुर (छ.ग.)

ग्राम - झरगाँव, पोस्ट - घोलेंग, तह.- जशपुर, जिला - जशपुर, (छ.ग.) पिन कोड- 496338

Website: www.gpjashpur.ac.in

E-Mail: govtpolyjashpur@gmail.com

क्रमांक / सी.जी.आई.टी. / स्था. / 2026 / 369

जशपुर, दिनांक / 2 / 09 / 2026

--:आदेश:-

छ0ग0 शासन, कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग, रायपुर के पत्र क/एफ 1-5/2022/तक.शि./42/नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 02.12.2022 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए निम्न को अंशकालीन व्याख्याता के रूप में अध्यापन कार्य हेतु निम्नांकित शर्तों के अनुसार विषम सेमेस्टर 2026-27 के लिए अनुमति दी जाती है:-

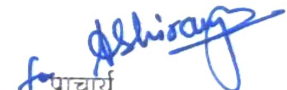
क.	नाम	पद एवं ब्रांच
1.	श्री चंदन दानी	अंशकालीन व्याख्याता (कम्प्यूटर साईंस एण्ड इंजीनियरिंग)
2.	कु. रितिका पांडे	अंशकालीन व्याख्याता (कम्प्यूटर साईंस एण्ड इंजीनियरिंग)

- अंशकालीन व्याख्याता के रूप में कार्य करने के लिये छ0ग0 शासन, कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग, रायपुर के पत्र क/एफ 1-5/2022/तक.शि./42/नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 02.12.2022 के द्वारा स्वीकृत मानदेय की दर रूपये 800/- प्रति काल खण्ड की पात्रता होगी जिसकी अधिकतम सीमा 56100/- (छप्पन हजार एक सौ मात्र) प्रतिमाह होगी। शैक्षणिक कार्य के अतिरिक्त प्राचार्य द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य भी सम्पन्न करने होंगे जिसका अतिरिक्त पारिश्रमिक देय नहीं होगा।
- उपरोक्त आदेश के फलस्वरूप संबंधित व्यक्ति को पारिश्रमिक को छोड़कर शासकीय सेवा में नियमितकरण, वरिष्ठता, वेतनमान आदि किसी भी प्रकार के लाभ की पात्रता नहीं होगी। अतः वे इस संबंध में भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई भी मांग प्रस्तुत नहीं करेंगे। इनकी सेवाएं पूर्णतः अस्थायी हैं एवं किसी भी समय, बिना किसी सूचना के बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती हैं।
- आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय अथवा अन्य आदेश जारी होने पर अथवा स्थानीय विज्ञापन के द्वारा अन्य व्यक्ति के चयनोपरान्त नियुक्ति करने पर अथवा रिक्त पद के विरुद्ध लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित अन्य व्यक्ति की शासन द्वारा नियुक्त किये जाने पर सेवाएं स्वमेव समाप्त हो जावेगी।
- आदेश जारी तिथि से 07 दिनों के अन्दर संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा आदेश स्वमेव निरस्त हो जावेगा।
- यह आदेश दिनांक 12/09/2026 से प्रभावशील होगी।

पु.क्रमांक/सी.जी.आई.टी./स्था./2026/370
प्रतिलिपि:-

1. संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-3, तृतीय एवं चतुर्थ तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर(छ0ग0) को सूचनार्थ।
2. संबंधित विभागाध्यक्षों, सी.जी.आई.टी. जशपुर, जिला-जशपुर छ0ग0 को सूचनार्थ।
3. संबंधित श्री/कु. को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
4. जिला कोषालय, जशपुर जिला-जशपुर छ0ग0 को सूचनार्थ।
5. लेखापाल, सी.जी.आई.टी. जशपुर, जिला-जशपुर छ0ग0 को सूचनार्थ।

for 
प्राचार्य
सी.जी.आई.टी. जशपुर
जिला-जशपुर (छ.ग.)
जशपुर, दिनांक / 2 / 09 / 2026

for 
प्राचार्य
सी.जी.आई.टी. जशपुर
जिला-जशपुर (छ.ग.)

9c

CHHATISGARH INSTITUTE OF TECHNOLOGY JASHPUR

छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जशपुर (छ.ग.)

ग्राम - झरगाँव, पोस्ट - घोलेंग, तह.- जशपुर, जिला - जशपुर, (छ.ग.) पिन कोड- 496338

Website: www.gpjashpur.ac.in

E-Mail: govtpolyjashpur@gmail.com

क्रमांक/सी.जी.आई.टी./स्था./2026/367

जशपुर, दिनांक 12/09/2026

—:आदेश:—

छ0ग0 शासन, कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग, रायपुर के पत्र क/एफ 1-5/2022/तक.शि./42/नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 02.12.2022 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए निम्न को अंशकालीन व्याख्याता के रूप में अध्यापन कार्य हेतु निम्नांकित शर्तों के अनुसार विषम सेमेस्टर 2026-27 के लिए अनुमति दी जाती है:—

क्र.	नाम	पद एवं ब्रांच
1.	श्री प्रेम कुमार यादव	अंशकालीन व्याख्याता (रसायन)

- अंशकालीन व्याख्याता के रूप में कार्य करने के लिये छ0ग0 शासन, कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग, रायपुर के पत्र क/एफ 1-5/2022/तक.शि./42/नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 02.12.2022 के द्वारा स्वीकृत मानदेय की दर रुपये 800/- प्रति काल खण्ड की पात्रता होगी जिसकी अधिकतम सीमा 56100/- (छप्पन हजार एक सौ मात्र) प्रतिमाह होगी। शैक्षणिक कार्य के अतिरिक्त प्राचार्य द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य भी सम्पन्न करने होंगे जिसका अतिरिक्त पारिश्रमिक देय नहीं होगा।
- उपरोक्त आदेश के फलस्वरूप संबंधित व्यक्ति को पारिश्रमिक को छोड़कर शासकीय सेवा में नियमितिकरण, वरिष्ठता, वेतनमान आदि किसी भी प्रकार के लाभ की पात्रता नहीं होगी। अतः वे इस संबंध में भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई भी मांग प्रस्तुत नहीं करेंगे। इनकी सेवाएं पूर्णतः अस्थायी हैं एवं किसी भी समय, बिना किसी सूचना के बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती हैं।
- आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय अथवा अन्य आदेश जारी होने पर अथवा स्थानीय विज्ञापन के द्वारा अन्य व्यक्ति के चयनोपरान्त नियुक्ति करने पर अथवा रिक्त पद के विरुद्ध लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित अन्य व्यक्ति की शासन द्वारा नियुक्त किये जाने पर सेवाएं स्वमेव समाप्त हो जावेगी।
- आदेश जारी तिथि से 07 दिनों के अन्दर संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा आदेश स्वमेव निरस्त हो जावेगा।
- यह आदेश दिनांक 12/09/2026 से प्रभावशील होगी।

for 
प्राचार्य
सी.जी.आई.टी.जशपुर
जिला-जशपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/सी.जी.आई.टी./स्था./2026/368

जशपुर, दिनांक 12/09/2026

प्रतिलिपि:—

- संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-3, तृतीय एवं चतुर्थ तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ0ग0) को सूचनार्थ।
- संबंधित विभागाध्यक्षों, सी.जी.आई.टी. जशपुर, जिला-जशपुर छ0ग0 को सूचनार्थ।
- संबंधित श्री/कु.को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- जिला कोषालय, जशपुर जिला-जशपुर छ0ग0 को सूचनार्थ।
- लेखापाल, सी.जी.आई.टी. जशपुर, जिला-जशपुर छ0ग0 को सूचनार्थ।

for 
प्राचार्य
सी.जी.आई.टी.जशपुर
जिला-जशपुर (छ.ग.)

वे